फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

गैसर्स नीलदीप बनाम कजोड़मल व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या :– 46/23 /20 प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 22/5/24 | पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा हाजिर। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा व अप्रार्थीगण अधिवक्ता श्री मदन लाल कुडी की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की अविभाजित कृषि भूमि है। जिसका अप्रार्थीगण विक्रय हस्तान्तरण एवं विशेष भू भाग को खुर्द–बुर्द करने एवं कब्जा करने पर आमादा हैं। अतः ग्राम कालवाड पटवार क्षैत्र कालवाड, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कालवाड तहसील कालवाड, जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 300 पुराना 295 के खसरा नम्बर 843 रकबा 0.3288 हैक्टे0, खसरा नम्बर 845 रकबा 0.6197 हैक्टे0, खसरा नम्बर 846 रकबा 1.1761 हैक्टे0, खसरा नम्बर 847 रकबा 0.3541 हैक्टे0, खसरा नम्बर 848 रकबा 0.3667 हैक्टे0, खसरा नम्बर 849 रकबा 0.9105 हैक्टे0, खसरा नम्बर 850 रकबा 0.0253 हैक्टे0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.7812 हैक्टे0 में मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् आदेश प्रदान किये जाये। दिनांक 27.03.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 20 की ओर से जवाब पेश किया जा चुका है जिसमें प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की प्रार्थना की, जो शामिल पत्रावली है।<br><br>प्रार्थी/अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गयी। दौराने बहस जाहिर तथ्यों, पत्रावली मय रिकार्ड के अवलोकन से हम पाते हैं कि विवादित | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:43:07 IST
Reason: SelfAttested

आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार हैं एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थना –पत्र के चरण संख्या–2 में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। फैसला आज दिनांक 22/5/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्जनम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर ... प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:43:07 IST
Reason: SelfAttested